तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.12.20	पत्रावली पेश हुई. अभिभाषकगण द्वारा [illegible] न्यायिक कार्य [illegible] बाहर रखने से पत्रावली दिनांक 10/1/21 को पेश हो।
10.1.21	पत्रावली पेश हुई. वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। पटवार हल्का हिंसानिया पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाज दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उप... ...धिकारी मांड... ...ा भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– डॉ पूजा सक्सेना आर ए एस

मुकदमा सख्या – 123/20 प्रा०पत्र

1– श्री नारायण S/o श्री गमा गुर्जर निवासी–हिसानिया तहसील–माण्डल [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

–श्री गोपाल S/o श्री नानु गुर्जर निवासी–हिसानिया तहसील–माण्डल [वगैरा]
(प्रहंकित प्राप्त तरंगम)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा भू रा अधि 1956

दिनांक 19-01-2021

::आदेश::

र्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा भू रा अधि 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ाया कि ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल मे उसके ाते / सयुक्त खाते की आराजी न प्रहंकित पिछले पृष्ठ पर कुल किता 14 रकबा 14 ाघा 17 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा न्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिससे प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त ाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 24-07-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण का वलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अत इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा भू रा अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया पटवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल मे उसके खाते/सयुक्त खाते की आराजी न प्रहंकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 14 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक आसीमारा को 750/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त [illegible] प्रार्थीगण मौके पर जमा कराये। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी मे [illegible] कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी [illegible] पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा